



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937

No. 373]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

चाय बोर्ड

अधिसूचना

कोलकाता, 2 नवम्बर, 2015

फा. सं. 23(4)/स्थाप./2009.—चाय बोर्ड, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 50 की उपधारा (2) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्तियों और सेवा शर्तें) नियम, 1971 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रम से पूर्व किया गया है या करने वालों का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा पुष्टित, निम्नलिखित उप विधि बनाता है अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इस उप विधि का संक्षिप्त नाम चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती, सेवा शर्तें) उप विधि 2015 है ।
(2) ये उप विधि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएँ** -इन उप विधि में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-
(क) 'अधिनियम' से चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) अभिप्रेत है;
(ख) 'नियुक्त प्राधिकारी' से वह अभिप्रेत :-
(i) पद पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी जिसे उस समय के लिए अधिकारी धारण किए हुए है; या
(ii) प्राधिकारी जिसने पद पर अधिकारी को उस समय नियुक्त किया है, अभिप्रेत है;
(ग) 'बोर्ड' से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत है;
(घ) 'विभागीय परीक्षा' से समय-समय पर यथाविहित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार अभिप्रेत है;
(1)
(ड) 'सरकार' से आशय केन्द्रीय सरकार से है;

- (च) 'अधिकारी' से रैंक तथा प्रास्थिति के केन्द्रीय अधिकारी के समतुल्य वेतन लेने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) 'वेतन' से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू आधारभूत नियम तथा अनुपूरक नियम में यथापरिभाषित वेतन अभिप्रेत है;
- (ज) 'अनुसूची' से इन उपनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियाँ अभिप्रेत हैं।
3. **लागू होना**—ये उपनियम अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार चाय बोर्ड के पदों पर लागू होंगे ।
 4. **वेतन संरचना और अर्हता**—उक्त पदों से संबन्धित वेतन संरचना तथा उन पर भर्ती के लिए अपेक्षित अर्हता अनुसूची के स्तम्भ 4 और 7 और 8 में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार होगी ।
 5. **भर्ती की पद्धति**—भर्ती की पद्धति और उससे संबन्धित अन्य मामले अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार होंगे । प्रत्येक पद पर प्रोन्नति की दशा पोषक में प्रवर्ग में पात्र अभ्यर्थियों में से विभागीय परीक्षा होगी ।
 6. **आयु**—उक्त पदों में से किसी के लिए सीधी भर्ती के लिए चयन के समय अधिकतम आयु सीमा अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार होगी परंतु सीधी भर्ती के लिए निहित अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी साधारण आदेशों के अनुसार शिथिलता दी जाए।
 7. **निरर्हताएँ**—वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है
 ;
 उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परंतु यदि चाय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
8. **आरक्षण तथा अन्य रियायतें**—केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नागरिकों के किसी प्रवर्ग को दिये गए आरक्षण और रियायतों के अधीन रहते हुए पदों में विभिन्न प्रवर्गों में नियुक्ति होगी ।
 9. **परिवीक्षा की अवधि**—सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा इन उप-नियमों के अधीन समूह श्रेणी 'क' और 'ख' के अधीन किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उक्त पद जिस पर परिवीक्षा अवधि आरंभ होने की घोषणा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर दी गई है, पर नियमित नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा तथा समूह 'ग' और अन्य के लिए इसी प्रकार परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी :
 परंतु नियुक्ति प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक बढ़ा अथवा घटा सकेंगे जिसे वह उचित समझें ।

परिवीक्षा का पुष्टीकरण: स्तम्भ 12 में यथोक्त विभागीय पदोन्नति समिति परिवीक्षा का पुष्टीकरण करने के लिए समिति होगी।

10. **सेवा अथवा परिवीक्षा की समाप्ति-**(i) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा पदोन्नति द्वारा किसी पद पर किसी अधिकारी को उस पद पर रहते हुए उसका कार्य अथवा आचार संतोषजनक न पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि से पूर्व अथवा परिवीक्षा अवधि के दौरान या विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई कारण बताए बिना पदच्युत कर सकेगा अथवा उसकी पदोन्नति प्रत्यावर्तित कर सकेगा ।
(ii) परिवीक्षा की अवधि के दौरान यदि उसका कार्य तथा आचार संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी निहित यथास्थिति परिवीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होते ही अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, यह घोषणा करेगा कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है।
11. **पेंशन संबंधी फायदा-**चाय बोर्ड के पदाधारियों की पेंशन, सेवानिवृत्त फायदे तथा सेवा की अन्य शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए गए अनुसार और चाय बोर्ड ग्रहण की गई सीमा तक विस्तारित होंगी ।
12. **सेवा की अन्य शर्तें-**किसी पद पर नियुक्ति किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों के संबंध में जिसके लिए इन उप नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है चाय बोर्ड में सेवा में तत्समान प्रवर्ग के उन अधिकारियों के समान होंगी ।
13. **निरसन की अन्य शर्तें-**(i) बोर्ड में 6600/- रु० तक का ग्रेड वेतन पाने वाले अधिकारियों एवं स्टाफ पर लागू सीमा तक चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1971 एतत् द्वारा निरस्त की जाती है;
(ii) इस उपनियम की शुरुवात से पूर्व की कोई भी बात अथवा उठाया गया कोई भी कदम जब तक कि अनुसूची सहित इस उपनियम के किसी भी प्रावधान के अनुरूप होगा, उसी प्रकार वैध होगा जैसे कि वह इस उपनियम की शुरुवात के बाद बोर्ड द्वारा उठाया गया हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. निदेशक, चाय संवर्धन ग्रेड-II	3* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी :आयु सीमा तय करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम	अनिवार्य : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय या विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि 2. निर्यात, विपणन और बिक्री संवर्धन में कार्यकारी स्तर पर कम से कम 3वर्ष का अनुभव 3 .बाजार अनुसंधान किया हो। वांछनीय : प्रचार ,

					तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	विज्ञापन तथा मीडिया प्रबंधन में अनुभव
--	--	--	--	--	---	---------------------------------------

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक न होने से संविदा भी है) ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : निम्नलिखित संवर्ग से - (i) उप-निदेशक, चाय संवर्धन, वेतन बैंड 3 और 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन में 3 वर्षों की नियमित सेवा (ii) उप-निदेशक, चाय विकास, वेतन बैंड 3 और ग्रेड वेतन 6600/- रुपए में 3 वर्षों की नियमित सेवा (iii) सहायक-निदेशक, चाय विकास, वेतन बैंड 3 और 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन में 4 वर्षों की नियमित सेवा (iv) कारखाना परामर्शी अधिकारी वेतन बैंड 3 और 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन में 4 वर्षों की नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पावधि संविदा सहित : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के वे अधिकारी इसके लिए पात्र होंगे जो - (क) नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या 15600-39100/- रुपए के वेतन बैंड 3 और 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन या समकक्ष में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड - सदस्य (v) एक बोर्ड सदस्य - सदस्य प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य - सदस्य (iv) आवश्यक समझे जाने पर एक या दो ऐसे बाहर से व्यक्ति से जो तकनीकी रूप से अर्ह हों - सदस्य	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
2 .निदेशक(अनुसंधान)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर इनमें परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम,मेघालय ,अरुणाचल प्रदेश ,मिजोरम ,मणिपुर , नागालैंड ,त्रिपुरा ,सिक्किम , जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : 1. किसी सुसंगत श्रेणी में पी. एच . डी .के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या वनस्पति विज्ञान या जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि । 2 .पर्याप्त अनुसंधान अनुभव वांछनीय वैज्ञानिक निकायों के साथ संगठन या अनुसंधान कार्य , संपर्क कार्य में अनुभव तथा ख्याति लब्ध वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कम से कम दो प्रकाशन।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु -नहीं। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या वनस्पति विज्ञान या जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि	दो वर्ष	प्रोन्नति /या प्रतिनियुक्ति, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति /संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी, जो - (i) परियोजना निदेशक वेतन बैंड- 3 और ग्रेड वेतन 6600/- रुपए के पद पर 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हो (ii) वेतन बैंड 3 और 5400/- रुपए ग्रेड वेतन में मृदा वैज्ञानिक के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हो। (iii) वेतन बैंड 2 और 4600 /- रुपए के ग्रेड वेतन में अनुसंधान अधिकारी के पद पर 4 वर्षों की	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड –सदस्य (iii) सचिव ,चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ,चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता

			नियमित सेवा की हों। प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार अथवा सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो : (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ;या(ii) जिन्होंने 15600-39100 रुपए के वेतन बैंड 3 और 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन या समकक्ष में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हो ;और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हों।	(v) एक बोर्ड सदस्य – सदस्य प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड –सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) सुसंगत क्षेत्र से दो बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
3. विशेष अधिकारी पश्चिमोत्तर भारत के लिए	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क " के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600/- रुपए	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम ,मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम ,मणिपुर , नागालैंड ,त्रिपुरा , सिक्किम ,जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड , अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : 1 .किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन (विपणन) या मास कम्युनिकेशन या जनसंपर्क में स्नातकोत्तर उपाधि अनुभव : (i) किसी रजिस्ट्रृत लब्धप्रतिष्ठ कंपनी में विपणन या बिक्री या विज्ञापन प्रभाग में या जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने का कम से कम 5 (पांच) वर्षों का अनुभव हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु - कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन (विपणन) या मास कम्युनिकेशन या जनसंपर्क में स्नातकोत्तर उपाधि	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने (i) उप-निदेशक ,चाय विकास , वेतन बैंड 3 , ग्रेड वेतन 6600/- रुपए में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो (ii) सहायक-निदेशक ,चाय विकास ,वेतन बैंड 3 और 5400/-रुपए के ग्रेड वेतन में 4 वर्षों की नियमित सेवा की हो (iii) वेतन बैंड 3 और ग्रेड वेतन 5400/-रुपए में प्रचार अधिकारी के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा सांविधिक निकायों में जनसंपर्क अधिकारी या संपर्क अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हो, उनका रैंक भारत सरकार में अवर सचिव से कम न हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड -सदस्य (iii) सचिव ,चाय बोर्ड - सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ,चाय बोर्ड - सदस्य (v) संबंधित विभागीय प्रमुख - सदस्य (vi) बोर्ड का एक सदस्य -सदस्य सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड -सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य - सदस्य (iv) सुसंगत क्षेत्र से दो बाह्य विशेषज्ञ -सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
4. उप-निदेशक चाय विकास	11* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम ,मेघालय ,अरुणाचल	अनिवार्य .1 :किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विस्तार या वनस्पति विज्ञान या चाय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. अनुभव :किसी चाय बागान में प्रबंधक या सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने का कम से कम 5वर्षों का अनुभव।

					प्रदेश ,मिजोरम ,मणिपुर , नागालैंड ,त्रिपुरा ,सिक्किम , जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड ,अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	
--	--	--	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	80 प्रतिशत प्रोन्नति से और 20 प्रतिशत सीधी भर्ती से	प्रोन्नति: वेतन बैंड 3 और 5400/-रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक निदेशक चाय विकास के संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिनहोंने 4 वर्षों की नियमित सेवा कर ली हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड – अध्यक्ष(ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड – सदस्य (iii) सचिव ,चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय विकास ,चाय बोर्ड –सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा नियंत्रक, चाय बोर्ड -सदस्य (vi) एक बोर्ड सदस्य – सदस्य सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष , चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड –सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) एक तकनीकी रूप से अर्ह बाह्य व्यक्ति – सदस्य (v) निदेशक ,चाय विकास ,चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
5 .अनुज्ञप्ति नियंत्रण	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क " के, समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 3 – 15600-39100/- रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	अनिवार्य : .1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एलएलबी की उपाधि वांछनीय :

					टिप्पण :आयु सीमा अवधारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम ,मेघालय ,अरुणाचल प्रदेश ,मिजोरम ,मणिपुर , नागालैंड ,त्रिपुरा ,सिक्किम , जम्मू- कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी उपखंड ,अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	किसी ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक घराने में या सरकारी विभाग में ज्येष्ठ कार्यकारी स्तर पर अनुभव। चाय उद्योग का ज्ञान एक अतिरिक्त योग्यता होगी।
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेहन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु -नहीं शिक्षा – हां।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : निम्नलिखित संवर्ग के ऐसे अधिकारियों से जिन्होंने : (i) वेतन बैंड 3और 6600 -/रुपए के ग्रेड वेतन में सांख्यिकीविद के रूप में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर ली हो। (ii) वेतन बैंड 3और 5400 -/रुपए के ग्रेड वेतन में संयुक्त अनुज्ञप्ति नियंत्रक के रूप में 4वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो; (iii) वेतन बैंड 3और 5400 -/रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक निदेशक ,चाय विकास के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो;(iv) वेतन बैंड 3 और 5400 -/रुपए के ग्रेड वेतन में कारखाना सलाहकार अधिकारी के रूप में 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार अथवा पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे :जो (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ;या (ii) जिन्होंने 15600 39100-रुपए के वेतन बैंड 3और 5400 -/रुपए के ग्रेड वेतन या समकक्ष में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हो ;और (ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता और अनुभव हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड – सदस्य (iii) सचिव ,चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी , चाय बोर्ड – सदस्य (v) एक बोर्ड सदस्य – सदस्य प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) संगत क्षेत्र से दो बाह्य विशेषज्ञ –सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
6. उप-निदेशक, चाय संवर्धन	4* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फिति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन (विपणन) में स्नातकोत्तर उपाधि। अनुभव : (i) रजिस्ट्रिकृत ख्यातिलब्ध कंपनी के विपणन या विज्ञापन प्रभाग में काम करने का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव। (ii) निर्यात, विपणन या बिक्री संवर्धन में कार्यकारी स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। प्रचार, विज्ञापन और मीडिया प्रबंधन में अनुभव वांछनीय है। (iii) बाजार अनुसंधान कार्य किया होना चाहिए। वांछनीय : निर्यात बाजार या समुद्रपारीय ब्रैंड संवर्धन का कार्य साधक ज्ञान तथा मास कम्यूनिकेशन में अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु - नहीं। शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यवसाय प्रबंधन (विपणन) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	दो वर्ष	मंजूर संख्या में से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और अनुमोदित पदों में से 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 3 और 5400/-रुपए ग्रेड वेतन वाले संयुक्त अनुज्ञप्ति नियंत्रक या योजना अधिकारी या कल्याण लायजन् अधिकारी (उत्तर) या	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iv) वित्तीय	लागू नहीं होता

			प्रचार अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी) या अनुसंधान अधिकारी (आर्थिक) या सहायक निदेशक, चाय विकास या कारखाना सलाहकार अधिकारी के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारियों के संवर्ग से की जाएगी।	सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य (v) संबंधित विभागीय प्रमुख – सदस्य (vi) बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
7. विधि अधिकारी	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	लागू नहीं	42 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष शिथिल की जाएगी) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि, राज्य न्यायिक सेवा में या केंद्रीय या राज्य सरकार में विधि अधिकारी या किसी पंजीकृत विख्यात विधि फर्म में या किसी पंजीकृत या विख्यात कंपनी में 5 वर्षों तक कार्य करने का या किसी विधि न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का 10 वर्षों का अनुभव हो। वांछनीय : श्रम विधि या रोपण से संबंधित विधायन का ज्ञान।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेष्ठ जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	(i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेष्ठ वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
8. परियोजना निदेशक	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + श्रेष्ठ वेतन 6600/- रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव रसायन, पौध प्रजनन या मृदा विज्ञान या कीट विज्ञान एन्टोमोलोजी या पौध पैथालोजी विषय सहित कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि और संगत क्षेत्र में पीएचडी। 2. अधिमानतः सदाबहार फसलों में अनुसंधान कार्य का 10 वर्षों का अनुभव। 3. उन अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जाएगी जिन्होंने पीएच.डी. की उपाधि पूरी करने के पश्चात किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिका में अपना अनुसंधान कार्य प्रकाशित कराया हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु -सीमा - कोई नहीं : शिक्षा : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या वनस्पति विज्ञान या जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती	प्रोन्नति: संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों में से जिन्होंने : (i) दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र में वेतन बैंड 3 और 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन में मृदा वैज्ञानिक के पद पर 4वर्षों की नियमित पूरी कर ली हो। (ii) वेतन बैंड 2 और 4600 -/रुपए के ग्रेड वेतन में अनुसंधान अधिकारी के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरा कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार अथवा सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे :जो (क) (i) नियमित आधार पर सहस्र पद धारण किए हों ;या(ii) जिन्होंने 15600-39100/- रुपए के वेतन बैंड 3 और 5400 -/ रुपए के ग्रेड वेतन या समकक्ष में 4 वर्षों की नियमित सेवा की हो ;और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड -सदस्य (iii) सचिव ,चाय बोर्ड - सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ,चाय बोर्ड - सदस्य (v) चाय बोर्ड का एक सदस्य -सदस्य (vi) एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष , चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड -सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
9. सांख्यिकी विद	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' के समतुल्य , अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 3-15600-39100/- रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/- रुपए	चयन	35वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी जिम्मेदार पद पर सांख्यिकी कार्य का अनुभव।

					अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम , मेघालय ,अरुणाचल प्रदेश ,मिजोरम , मणिपुर ,नागालैंड , त्रिपुरा ,सिक्किम , जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग , हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड ,अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा – कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता:किसी मान्यता -प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या गणित/वाणिज्य शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों में से जिनहोंने (i) वेतन बैंड 3 और ग्रेड वेतन 5400/- रुपए में अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी) के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। (ii) वेतन बैंड 3 और ग्रेड वेतन 5400/- रुपए में अनुसंधान अधिकारी (आर्थिक) के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार अथवा सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे :जो (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ;या (ii) जिन्होंने 15600-39100/-रुपए के वेतन बैंड 3 और 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन या समकक्ष में 4 वर्षों की नियमित सेवा की हो ;और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड –सदस्य (iii) सचिव ,चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ,चाय बोर्ड – सदस्य (v) एक बोर्ड सदस्य – सदस्य प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड –सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
10 . सहायक सचिव	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य , अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम ,मेघालय ,अरुणाचल प्रदेश ,मिजोरम ,मणिपुर , नागालैंड ,त्रिपुरा ,सिक्किम , जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य :किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि। वांछनीय : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रबंध में डिप्लोमा।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा – कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :वेतन बैंड 3और 5400 -/ रुपए के ग्रेड वेतन में संयुक्त लाइसेंसिंग नियंत्रक या योजना अधिकारी या कल्याण संपर्क अधिकारी(उत्तर)के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार अथवा स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे :जो (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ;या (ii) जिन्होंने 39100-15600रुपए के	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड –सदस्य (iii) सचिव ,चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ,चाय बोर्ड – सदस्य (v) एक बोर्ड सदस्य – सदस्य	लागू नहीं होता

			वेतन बैंड 3 और 5400 -रुपए के ग्रेड वेतन या समकक्ष में 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो ; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हो।	प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष , चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड –सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य	
--	--	--	---	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
11 .वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क " के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	चयन	35वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम ,मेघालय ,अरुणाचल प्रदेश ,मिजोरम ,मणिपुर , नागालैंड ,त्रिपुरा ,सिक्किम , जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड ,अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि। 2. इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (भारत या लंदन) की अंतिम परीक्षा या भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा आयोजित की जाने वाली अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वांछनीय :सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यालय या किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक उपक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 या 7 वर्षों का अनुभव हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा :कोई नहीं।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति, ऐसा न	प्रोन्नति : वेतन बैंड 2 और	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष ,चाय बोर्ड –	लागू नहीं होता

शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि।		हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	4600/-रुपए के ग्रेड वेतन में लेखाधिकारी के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर लेने वाले अधिकारियों में से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति :केंद्रीय सरकार अथवा स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे :जो (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हों।	अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड – सदस्य (iii) सचिव ,चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ,चाय बोर्ड – सदस्य (v) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष , चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष ,चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) तकनीकी रूप से अर्ह एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	
--	--	------------------------------	--	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
12. उप-निदेशक (हिन्दी)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए+ ग्रेड वेतन 6600/-रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण :आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम ,मेघालय ,अरुणाचल प्रदेश ,मिजोरम ,मणिपुर , नागालैंड ,त्रिपुरा ,सिक्किम , जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. हिन्दी में पीएचडी। 3. हिन्दी भाषा अनुवाद से संबंधित सभी साफ्टवेयरों का ज्ञान।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : वेतन बैंड 2 और 4600/- रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक निदेशक (हिन्दी) के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले संवर्ग अधिकारियों में से। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य (v) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
13. सहायक निदेशक, चाय विकास	26* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 5400/- रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि प्रसार या वनस्पति विज्ञान या चाय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. अनुभव : किसी

					अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	चाय बागान के प्रबंधक या सहायक प्रबंधक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष सेवा करने का अनुभव।
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन बैंड 2 और 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन में विकास अधिकारी के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारियों के संवर्ग से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार अथवा स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो - (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य (v) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त एक बाह्य व्यक्ति – सदस्य (v) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य।	लागू नहीं।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
-----------	----------------	----------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7
14. कारखाना सलाहकार अधिकारी	22* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रुमेंटेशन या कृषि इंजीनियरिंग (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) में इंजीनियरिंग की उपाधि। वांछनीय : चाय या काफी बोर्ड में रजिष्ट्रकृत किसी चाय या काफी फैक्टरी या सरकार द्वारा अनुज्ञापत्र प्राप्त किसी खाद्य प्रसंस्करण या पैकेजिंग उद्योग में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : 1. अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य 3. चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य 4. निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य 5. चाय विनिर्माण संबंधी एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य।	लागू नहीं होता ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
15. प्रचार अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400/-रुपए	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. एडोब, फोटोशॉप आदि जैसे डिजाइनिंग साफ्टवेयर में डिप्लोमा। अनुभव : किसी विज्ञापन एजेंसी या वाणिज्यिक संगठन या वस्तु बोर्ड में प्रचार एवं विज्ञापन कार्य का 03 वर्षों का अनुभव वांछनीय : मास कम्युनिकेशन में अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए	प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्याक्ष, चाय बोर्ड - अध्याक्ष (ii) उपाध्याक्ष, चाय	लागू नहीं होता ।

			पात्र होंगे जो - (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	बोर्ड -सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य - सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।	
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
16. योजना अधिकारी	^{1*} (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि। वांछनीय : प्रबंध में डिप्लोमा

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों में से जिन्होंने - (i) वेतन बैंड 2 और 4600/-रुपए के ग्रेड वेतन में अनुभाग अधिकारी या श्रमिक कल्याण अधिकारी या अध्यक्ष के सचिव के रूप में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। (ii) वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक प्रशासनिक अधिकारी या सहायक-सांख्यिकी अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी के रूप में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो - (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड – सदस्य। (v) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य। प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) चाय बोर्ड के दो सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य।	लागू नहीं होता ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
17. कल्याण संपर्क अधिकारी (उत्तर)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि। वांछनीय : प्रबंधन में डिप्लोमा।

					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों में से जिन्होंने - (i) वेतन बैंड 2 और 4600/-रुपए के ग्रेड वेतन में अनुभाग अधिकारी या श्रमिक कल्याण अधिकारी या अध्यक्ष के सचिव के रूप में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। (ii) वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक प्रशासनिक अधिकारी या सहायक-सांख्यिकी अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी के रूप में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो - (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी - सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
18. संयुक्त अनुज्ञप्ति नियंत्रक	2* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक उपाधि। वांछनीय : किसी प्रतिष्ठित व्यापार घराने या किसी सरकारी विभाग में कार्यकारी स्तर पर सेवा का अनुभव। चाय उद्योग के संबंध में जानकारी एक अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : जी, हां।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों में से जिन्होंने - (i) वेतन बैंड 2 और 4600/-रुपए के ग्रेड वेतन में अनुभाग अधिकारी या श्रमिक कल्याण अधिकारी या अध्यक्ष के सचिव के रूप में 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। (ii) वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय	लागू नहीं होता ।

			में सहायक प्रशासनिक अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी या पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो - (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी - सदस्य। निदेशक, चाय (v) अनुज्ञप्ति नियंत्रक, चाय बोर्ड - सदस्य। प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य - सदस्य।	
--	--	--	---	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
19. अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। अधिमानत: राज्य या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनी के सांख्यिकी विभाग में पर्यवेक्षक की हैसियत से औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विषयों पर टिप्पणियां, प्रतिवेदन और जापान लिखने सहित, एप्लायड आर्थिक आंकड़ों का निर्वचन और विश्लेषण करने का 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातक उपाधि।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन बैंड 2 और 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे ; (क) जो नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड - सदस्य (v) संबंधित विभागीय प्रमुख, चाय बोर्ड - सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य -सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
20. अनुसंधान अधिकारी (आर्थिक)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए+ ग्रेड वेतन 5400/-रुपए	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम	अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान या किसी अन्य समरूपी संगठन से अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी में विशेषज्ञता सहित

					तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	सांख्यिकी में प्रशिक्षण। वांछनीय : निर्यात संवर्धन से संबंधित कार्य एवं समस्याओं की जानकारी को अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा।
--	--	--	--	--	---	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातक उपाधि।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास कालम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड – सदस्य (v) संबंधित विभागीय प्रमुख, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य।	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
21. मृदा वैज्ञानिक	1* (2015) * कार्यभार के आधार	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के,	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

	पर परिवर्तन हो सकता है	समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5400/-रुपए		अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	या संस्था से कृषि प्रसार या मृदा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एवं संगत क्षेत्र में पी .एच. डी. । अनुभव :किसी सरकारी या सांविधिक निकाय के अधीन किसी संस्थान या संगठन या विश्वविद्यालय आदि में अनुसंधान कार्य का 05 वर्षों का अनुभव। स्नातक से परास्नातक स्तर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: (i) वेतन बैंड 2 और 4600/-रुपए के ग्रेड वेतन में अनुसंधान अधिकारी के पद पर 03 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके संवर्ग अधिकारियों से (ii) वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मृदा) के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके संवर्ग अधिकारियों में से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सहश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड – सदस्य (v) निदेशक अनुसंधान – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता	

				(iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य।	
--	--	--	--	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
22. सिस्टम विश्लेषक	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600-39100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5400/- रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्यायित किसी संस्थान से बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस) या बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस) अनुभव : बहु-प्रयोक्ता एवं बहु-आर्कीटेक्चर एनवायरमेंट के अधीन रियल लाइफ परियोजनाओं में सिस्टम डिजाइन और कार्यान्वयन का 02 वर्षों का अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर उपाधि।	दो वर्ष	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति से ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 2 और 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन में प्रोग्रामर के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर ली	प्रोन्नति के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) सचिव, चाय बोर्ड –	लागू नहीं

			हों और जिनके पास कालम् 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता हों। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सहश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	सदस्य (iv) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य (v) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) अध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष(ii) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य।	
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
23. अनुभाग अधिकारी	5* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4600/- रुपए	चयन	35 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, एवं अंदमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा अनुभव :वरीयतः किसी सरकारी कार्यालय में सचिवालय एवं स्थापना कार्य का अनुभव एवं रिपोर्ट, कार्यवृत्त आदि लिखने का अनुभव हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं।	दो वर्ष	या प्रतिनियुक्ति से	प्रोन्नति:	प्रोन्नति के लिए :	लागू नहीं होता

शैक्षिक योग्यता : जी, हां।		ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 2 और 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक प्रशासनिक अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी या सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हों। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	(i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य।	
----------------------------	--	-------------------------------------	---	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
24. श्रमिक कल्याण अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4600/- रुपए	चयन	35 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : हां।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक प्रशासनिक अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी या सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हों। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य।	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
25. लेखा अधिकारी	8* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए +ग्रेड वेतन 4600/-रुपए	चयन	35 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि। (ii) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (भारत या लंदन) द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षा या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा

					प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फिति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	परीक्षक द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वांछनीय : किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक उपक्रम में कम से कम 5 से 7 वर्षों का अनुभव। कम्प्यूटर का ज्ञान।
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की उपाधि।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हों। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य।	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
26. अनुसंधान अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के	वेतन बैंड-2 9300-34800/-	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा)	अनिवार्य : (i) किसी

	आधार पर परिवर्तन हो सकता है	समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपए + ग्रेड वेतन 4600/-रुपए		समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विषय के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। (ii) पीएचडी या राज्य या केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के अधीन संस्थानों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में किसी अनुसंधान परियोजना पर कार्य करने के 2 वर्षों का कार्य अनुभव।
--	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों से जिन्होंने वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (पौध संरक्षण या जैव रसायन या कृषि प्रबंधन) के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन, (मुख्यालय) चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड- सदस्य (vi) निदेशक अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक	लागू नहीं होता

			योग्यता तथा अनुभव हो।	सदस्य –सदस्य। (iv) निदेशक अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य (v) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य।	
--	--	--	-----------------------	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
27. अध्यक्ष का सचिव	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4600/- रुपए	चयन	35 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फुंति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि और किसी प्रतिष्ठित संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ सचिवालयी हैसियत से 5 वर्षों की सेवा का अनुभव। अभ्यर्थी कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमाधारी होना चाहिए।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 2 और 4600/-रुपए के ग्रेड वेतन में	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं

			कार्यकारी सहायक के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास कालम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	(iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य।	
--	--	--	--	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
28. कार्यकारी सहायक	5* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित , अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4600/-रुपए	चयन	35 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड,, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि और किसी प्रतिष्ठित संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ सचिवालयी हैसियत से 5 वर्षों का अनुभव। अभ्यर्थी कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमाधारी हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा
---	----------------------------	--	---	---	--

प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी		या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	है	आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 2 और 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ सचिवालयी सहायक के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हों। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य।	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
29. सहायक निदेशक (हिन्दी)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए+ ग्रेड वेतन 4600/- रुपए	चयन	35 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग,	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

					हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	
--	--	--	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में हिन्दी अनुवादक के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य। (v) एक विभागीय अधिकारी – सदस्य।	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
30. सम्पदा अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4600/- रुपए	लागू नहीं	40 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि। (ii) किसी मान्यताप्राप्त

					टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। अनुभव : किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या बैंक में सुरक्षा या सम्पदा प्रबंधन के क्षेत्र में 05 वर्षों का अनुभव।
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के लिए निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
31. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (पौध संरक्षण)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के, समतुल्य	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/-रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या

	परिवर्तन हो सकता है	अराजपत्रित, अनुसचिवीय			अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	संस्थान से कीट विज्ञान या पौध पैथालोजी (कृषि) में स्नातकोत्तर उपाधि। किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में कीट विज्ञान संबंधी या पौध पैथालोजी संबंधी विषय में 02 वर्षों के कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
--	---------------------	-----------------------	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 1 और 2800/- रुपए के ग्रेड वेतन में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (पौध संरक्षण) के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक , चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य (vi) निदेशक अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड –	लागू नहीं होता

			होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास कालम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य	
--	--	--	---	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
32. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मृदा विज्ञान)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य, अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/-रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मृदा विज्ञान विषय के साथ (कृषि) में स्नातकोत्तर उपाधि। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में या संस्थान में 02 वर्षों के कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति से ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती	प्रोन्नति: संवर्ग के उन	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव,	लागू नहीं होता

		द्वारा।	अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 1 और 2800/-रुपए के ग्रेड वेतन में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मृदा विज्ञान) के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी – सदस्य (vi) निदेशक अनुसंधान चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य
--	--	---------	--	---

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
33. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/-रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जैव रसायन या कार्बनिक रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि। पौध रसायन या फलेवर रसायन से संबंधित कार्य में 2 वर्षों का अनुभव

					सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड , अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
--	--	--	--	--	---	---------------------------------------

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 1 और 2800/-रुपए के ग्रेड वेतन में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हों, और (ख) जिनके पास कालम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य(iv) निदेशक चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य (vi) निदेशक अनुसंधान चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
34. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि प्रबंधन)	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित,	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य

	सकता है	अनुसचिवीय			अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। किसी प्रतिष्ठित संगठन में समान पद पर कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी जिनका संगत विषय या क्षेत्र में अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशित हुआ हो।
--	---------	-----------	--	--	---	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति , सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे थोड़े जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 1 और 2800/-रुपए के थोड़े वेतन में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि प्रबंधन) के पद पर 04 वर्षों की नियमित सेवा कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी (क) जो नियमित आधार पर सहश पद धारण किए हों, और	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य (vi) निदेशक अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता

			(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।		
--	--	--	---	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
35. वरिष्ठ सचिवालयी सहायक	10* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/-रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फ़ीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी जिन्होंने वेतन बैंड 1 और 2400/-रुपए के ग्रेड वेतन में कनिष्ठ सचिवालयी सहायक के पद पर 05 वर्षों की नियमित सेवा कर ली हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड	लागू नहीं होता

			प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	– सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य।	
--	--	--	--	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
36. प्रोग्रामर	3* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबद्ध किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रिलेशनल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत कम से कम 2 (दो) प्रोग्रामिंग भाषाओं में न्यूनतम 02 वर्षों के प्रोग्रामिंग अनुभव के साथ कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कम्प्यूटर अनुप्रयोग या कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक उपाधि। अनुभव : किसी पंजीकृत प्रख्यात फर्म में रिलेशनल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत तृतीय जनरेशन प्रोग्रामिंग भाषाओं में कार्य करने का 02 वर्षों का अनुभव या समकक्ष अनुभव।
क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	

		रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) सिस्टम विश्लेषक – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
37. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	7* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए	चयन	27 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि और सहश पद पर कार्य करने का 02 वर्षों का अनुभव।

					चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा – कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : हां।	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : संवर्ग के उन अधिकारियों में प्रदान की जाएगी जो वेतन बैंड 1 और 2400/-रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ सहायक के पद पर 05 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति : पदोन्नति संवर्ग के उन अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी (क) जो नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य (vi) सांख्यिकीविद, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
38. विकास अधिकारी	75* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/-रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या वनस्पति विज्ञान में

					के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फ्रीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	स्नातक की उपाधि और किसी चाय बागान में सहायक प्रबंधक या सदृश पद पर कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव।
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	95 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 5 प्रतिशत प्रोन्नति से	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी जो 9300-34800/-रुपए के वेतन बैंड 2 और 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों/और वेतन बैंड 1 तथा 2800/-रुपए के ग्रेड वेतन में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) अनुदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी , चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक	लागू नहीं होता

				सदस्य-सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	
--	--	--	--	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
39. सहायक प्रशासनिक अधिकारी	72* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से ऐसा न हो सकने पर सीधी	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष	लागू नहीं होता

		भर्ती द्वारा	प्रदान की जाएगी जो वेतन बैंड 1 और 2400/-रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ सहायक के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	(ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य।	
--	--	--------------	---	---	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
40. सहायक लेखा अधिकारी	41* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/-रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एडवांस एकाउंटेंसी और अंकेक्षण सहित वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। अनुभव : सरकारी या किसी अर्ध-सरकारी कार्यालय या किसी प्रसिद्ध वाणिज्यिक फर्म में लेखा एवं अंकेक्षण विभाग में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। वांछनीय : मौलिक एवं अनुपूरक नियमों, बजटीय प्रक्रियाओं

					स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	और सामान्य वित्तीय नियमों आदि की जानकारी।
--	--	--	--	--	---	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : लेखाकरण साफ्टवेयर में प्रवीणता	दो वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी जो वेतन बैंड 1 और 2400/-रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ सहायक के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या सांविधिक निकायों के वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे : (क) जो नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हों; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
41. हिन्दी अनुवादक	6* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/-रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी साहित्य और अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक की उपाधि।

					टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनुभव : अंग्रेजी से हिन्दी और इसके विपरीत अनुवाद करने या किसी शैक्षिक संस्थान में हिन्दी में अध्यापन का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं। शैक्षिक योग्यता : हां।	दो वर्ष	प्रोन्नति से, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : संवर्ग के उन अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी जो वेतन बैंड 1 और 2400/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ सहायक के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड	क्या यह	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए
-----------	---------	----------	--------------------	---------	-----------------------	-------------------

	संख्या		वेतन या वेतनमान	चयन पद है या गैर चयन पद	सीमा	अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
42. नयाचार अधिकारी	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/- रुपए	चयन	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि। वांछनीय : प्रोटोकॉल कार्यों का 3 वर्षों का अनुभव और जनसंपर्क कार्य में कुशल तथा अंग्रेजी या हिन्दी में प्रवीणता

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : नहीं। शैक्षिकयोग्यता - नहीं : परंतु अभ्यर्थी को प्रोटोकॉल कार्यों का अनुभव हो तथा वह जनसंपर्क कार्य में कुशल तथा अंग्रेजी या हिन्दी प्रवीण हो।	दो वर्ष	प्रोन्नति से ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से प्रदान की जाएगी जो वेतन बैंड 1 और 2400/-रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ सहायक के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड - सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड - सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय	लागू नहीं होता

				बोर्ड – सदस्य सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य	
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
43. पुस्तकालय सूचना अधिकारी	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800/- रुपए + ग्रेड वेतन 4200/-रुपए	लागू नहीं	30 वर्षों से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि। (ii) केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या संस्थान के अधीन किसी पुस्तकालय में कार्य करने का दो वर्षों का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	----------------------------	--	---	---	---

8	9	10	आमेलन किया जाएगा	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) एक विभागीय अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
44. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (पौध संरक्षण)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800/-रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) उन अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जाएगी जिनको किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला या संस्थान में विश्लेषणात्मक कार्य करने का 03 वर्षों का अनुभव हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
45. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मृदा विज्ञान)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800/-रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) उन अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जाएगी जिनको किसी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला या संस्थान में कार्य करने का 03 वर्षों का अनुभव हो।

					जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
--	--	--	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य - सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
46. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800/-रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) उन अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जाएगी जिनको विश्लेषणात्मक कार्य करने वाली किसी

					आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	प्रतिष्ठित प्रयोगशाला या संस्थान में कार्य करने करने का 03 वर्षों का अनुभव हो।
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे शेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
47. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (फार्म प्रबंधन)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800/-रुपए	चयन	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान या मृदा विज्ञान

					शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) उन अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जाएगी जिनको किसी प्रतिष्ठित संगठन में सस्य विज्ञान या मृदा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने का 03 वर्षों का अनुभव हो।
--	--	--	--	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : नहीं। शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या जैव विज्ञान में स्नातक उपाधि।	एक वर्ष	प्रोन्नति से ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जो वेतन बैंड 1 और 1900/-रुपए के ग्रेड वेतन में प्रयोगशाला सहायक के पद पर 6 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक समिति : सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य
-----------	----------------	----------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------	---

1	2	3	4	पद	6	अर्हताएं
48. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सस्य विज्ञान)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800/-रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सस्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) उन अभ्यर्थियों को अधिमानता प्रदान की जाएगी जिनको किसी प्रतिष्ठित संगठन में सस्य विज्ञान या मृदा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने का 03 वर्षों का अनुभव हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) निदेशक, अनुसंधान, चाय बोर्ड – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य
-----------	----------------	----------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---

1	2	3	4	5	6	अर्हताएं
49. कनिष्ठ सचिवालयी सहायक	12* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 -5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400/-रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि। (ii) दक्षता परीक्षण मानांक : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट का श्रुतलेखन। प्रतिलिपिकरण : कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट। अभ्यर्थी को एमएस आफिस का ज्ञान हो तथा उसे फैक्स मशीन चलानी आती हो और ई-अभिशासन की जानकारी हो। एमएस आफिस में डिप्लोमा धारकों को वरीयता दी जाएगी।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य - सदस्य (iv) एक विभागीय अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
50. कनिष्ठ सचिवालयी सहायक (हिन्दी)	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 2400/- रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी विषय के साथ स्नातक की उपाधि। (ii) दक्षता परीक्षण मानक : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट का श्रुतलेखन । प्रतिलिपिकरण : कम्प्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट। अभ्यर्थी को एमएस आफिस का ज्ञान होना चाहिए।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति ,सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13

लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य (iv) एक विभागीय अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं
-----------	---------	------------	-----------	---	-----------

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
51. वरिष्ठ सहायक	92* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 2400/-रुपए	चयन	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	----------------------------	---	--	---	---

8	9	रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	12	13
आयु-सीमा : नहीं शैक्षिक योग्यता : कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	एक वर्ष	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति से, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: संवर्ग के उन अधिकारियों में से की जाएगी जो वेतन बैंड 1 और 1900/-रुपए के ग्रेड वेतन में सहायक अथवा सहायक (हिन्दी) के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) एक विभागीय अधिकारी – सदस्य प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक विभागीय अधिकारी –सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
52. सहायक	91* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1900/-रुपए	चयन	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग,	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक (ii) कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी डिप्रेसन के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट 10,500 के डीपीएच के समनुरूप है)

					हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : कोई नहीं शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड/ संस्थान से मैट्रिकुलेशन	एक वर्ष	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 20 प्रतिशत 1800/-रुपए के ग्रेड वेतन में उन मल्टी टास्किंग स्टाफ संवर्ग से पदोन्नति द्वारा जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता हो और जो ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों।	स्तम्भ 10 में यथा उल्लिखित	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेख अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक विभागीय अधिकारी –सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
53. सहायक (हिन्दी)	3* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1900/-	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त

	सकता है	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपए		आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	विश्वविद्यालय या संस्थान से हिन्दी साहित्य विषय के साथ स्नातक की उपाधि। (ii) कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी डिप्रेसन के आधार पर 30 शब्द प्रति मिनट 9000 के डीपीएच के समनुरूप है)
--	---------	-----------------------	------	--	--	---

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य -सदस्य। (iv) एक विभागीय अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
54. ड्राइवर	18* (2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1900/-रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा	अनिवार्य : (i) मैट्रिकुलेशन या कक्षा 10 उत्तीर्ण (ii) अभ्यर्थी के पास मोटर कार चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना

					निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	चाहिए।
--	--	--	--	--	---	--------

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य - सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य (v) एक विभागीय अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
55. प्रयोगशाला सहायक	3* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित,	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1900/-रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के	अनिवार्य : जैव विज्ञान या कृषि में स्नातक उपाधि।

		अनुसूचित			अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	
--	--	----------	--	--	--	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेष्ठ जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य – सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ – सदस्य (v) एक विभागीय अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक
-----------	----------------	----------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
56. इलेक्ट्रिशियन	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समकक्ष, अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1900/-रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (ii) इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में आईटीआई प्रमाणपत्र

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेसन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड - सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य - सदस्य। (iv) एक विभागीय अधिकारी - सदस्य (v) एक विभागीय अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
57. जनरेटर आपरेटर	2* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1900/- रुपए	लागू नहीं	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कामगार ट्रेड प्रमाणपत्र। (iii) राज्य सरकार के लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा जारी केवल पार्ट-3 में वकर्मन्स लाइसेंसधारक हो। अनुभव : जनरेटर चलाने और उसका रखरखाव करने का कम से कम 02 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति :	लागू नहीं होता

				(i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड - अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड -सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य - सदस्य (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य (v) एक विभागीय अधिकारी - सदस्य	
--	--	--	--	--	--

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
58. प्लम्बर	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1900/-रुपए	गैर- चयन	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	अनिवार्य : (i) मैट्रिकुलेट या समकक्ष (ii) प्लम्बिंग में आईटीआई प्रमाणपत्र

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	----------------------------	---	--	---	---

8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : नहीं। शैक्षिक योग्यता : प्लम्बिंग फील्ड में आईटीआई प्रमाणपत्र	एक वर्ष	प्रोन्नति: जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: संवर्ग के उन मल्टी टास्किंग स्टाफ से की जाएगी जिन्होंने 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड –सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी चाय बोर्ड – सदस्य सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ –सदस्य (v) एक विभागीय अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
59. इलेक्ट्रिशियन का सहायक	1* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1900/-रुपए	गैर-चयन	18-27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	अनिवार्य : (i) मैट्रिकुलेट या समकक्ष (ii) इलेक्ट्रिकल फील्ड में आईटीआई

					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाखसंभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	
--	--	--	--	--	---	--

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु-सीमा : नहीं। शैक्षिक योग्यता : इलेक्ट्रिकल फील्ड में आईटीआई प्रमाणपत्र	एक वर्ष	प्रोन्नति: जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: संवर्ग के उन मल्टी टास्किंग स्टाफ से की जाएगी जिन्होंने 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।	प्रोन्नति के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) निदेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड – सदस्य (iv) निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय), चाय बोर्ड – सदस्य (v) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड – सदस्य सीधी भर्ती के लिए : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – अध्यक्ष (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक बाह्य विशेषज्ञ –सदस्य (v) एक विभागीय अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या यह चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
60. मल्टी टास्किंग स्टाफ	188* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" के समतुल्य अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 1 - 5200-20200/-रुपए + ग्रेड वेतन 1800/-रुपए	लागू नहीं	18-25 वर्ष : टिप्पण: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) यदि भर्ती रोजगार दफ्तर के जरिए की जाती है तो आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तक रोजगार दफ्तर से नाम भेजने के लिए कहा जाएगा।	अनिवार्य : (i) मैट्रिकुलेट या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण

क्या सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती का तरीका, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पद प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	निम्नलिखित को मिलाकर बनी चयन समिति : (i) उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड – सदस्य (ii) सचिव, चाय बोर्ड – सदस्य (iii) चाय बोर्ड का एक सदस्य –सदस्य। (iv) एक विभागीय	लागू नहीं होता

				अधिकारी-सदस्य	
--	--	--	--	---------------	--

संतोष सारंगी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा-/92-एफ/15/(260)]

TEA BOARD NOTIFICATION

Kolkata, the 2nd November, 2015

F. No. 23(4)/Estt./2009.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 50 of the Tea Act, 1953 read with sub-section (2) of section 50 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) and in supersession of the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Rules, 1971, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Tea Board hereby makes the following by-laws, as confirmed by the Central Government, namely:-

- 1 **Short title and Commencement -**
 - (1) These by-laws may be called the Tea Board (Recruitment, Promotions and Conditions of Service of Officers and Staff) By-Laws, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 **Definitions -**

In these by-laws, unless the context otherwise requires:-

 - (a) “Act” means the Tea Act, 1953 (29 of 1953) ;
 - (b) “Appointing Authority” means :-
 - (i) The Authority empowered to make appointments to the post which the officer for the time being holds; or
 - (ii) The Authority which appointed the officer to the post which he for the time being holds;
 - (c) “Board” means the Tea Board established under section 4 of the Act;
 - (d) “Departmental Exam” means the written test followed by interview as prescribed from time to time;
 - (e) “Government” means the Central Government;
 - (f) “Officer” means the Officer drawing salary equivalent to the officer of Central Government of comparable rank and status;
 - (g) “Pay” means the pay as defined in the Fundamental Rules and Supplementary Rules applicable to Central Government employees;
 - (h) “Schedule” means the Schedules appended to these by-laws.
- 3 **Application -**

These by-laws shall apply to the posts in the Tea Board as specified in column 1 of the Schedule.
- 4 **Pay Structure and Qualification -**

The Pay Structure attached to the said posts and the minimum qualifications required for recruitment thereto shall be as specified in columns 4 and 7 and 8 of the Schedule.

- | | | |
|----|--|--|
| 5 | Method of Recruitment - | The method of recruitment and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule. In case of promotion to each post, there shall be departmental examination amongst eligible candidates in feeder cadre. |
| 6 | Age - | The maximum age-limit at the time of selection for direct recruitment to any of the said posts shall be as specified in column 6 of the Schedule provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time. |
| 7 | Disqualifications - | <p>(a) No person who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or</p> <p>(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,</p> <p>shall be eligible for appointment to the said posts:</p> <p>Provided that the Tea Board may, if satisfied, that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this by-laws.</p> |
| 8 | Reservation and other concessions - | The appointment to the different categories of posts shall be subject to reservations and other concessions provided to any category of citizens from time to time by Central Government. |
| 9 | Period of Probation - | <p>Every person appointed to a post under Group – ‘A’ and ‘B’ under these by-laws, by direct recruitment or by promotion, shall be on probation in that post for a period of two years with effect from the date of regular appointment in which he or she is declared by the appointing authority to have commenced probation and for group –‘C’ and others period of probation shall similarly be one year:</p> <p>Provided, that the appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, extend or reduce the period or probation by such period or periods as it deems fit.</p> <p>Confirmation of Probation: The Departmental Promotion Committee, as stated in column 12 shall be the Committee for confirming the probation.</p> |
| 10 | Termination of Service or Probation - | <p>(i) The appointing authority may terminate the service of any officer appointed to a post by direct recruitment or revert without assigning any reasons of any officer appointed to a post by promotion to the post held by him or her before such probation during or at the time of the period of probation or the extended period of probation, if his or her work or conduct in that post is found to be unsatisfactory.</p> <p>(ii) If his or her work and conduct were found to be satisfactory during the period of probation, the appointing authority shall, as soon as the prescribed period of probation is over or during the extended period of probation or after its completion, as the case may be, declare that he or she has completed his or her probation</p> |

satisfactorily.

- 11 **Pension Benefits -** The pension, retirement benefits and other conditions of service of Tea Board officials shall be such as may be prescribed from time to time by Central Government and to the extent adopted by the Tea Board.
- 12 **Other Conditions of Service -** The conditions of service of the persons appointed to a post in respect of which no provision is made in these by-laws shall be similar to those officers of corresponding category in service in the Tea Board.
- 13 **Repeals and Savings -**
- (i) The Tea Board (Recruitment and Conditions of Service appointed by Government) Rules, 1971 to the extent applicable to the officers and staff of the Board having grade pay up to Rs.6600/- is hereby repealed;
 - (j) (ii) Anything done or action taken before commencement of this by-laws shall so long as it is not inconsistent with any of the provisions of this by-law including the Schedule, shall be valid as if it has been done or taken by the Board after commencement of this by-laws.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Director Tea Promotion Grade-II.	3* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs.6600.	Selection.	Not exceeding 40 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and	Essential :- 1. Post Graduate degree in Business or Marketing from a recognised University or Institute. 2. At least 3 years experience at executive level in Export, Marketing and sale promotion. 3. Must have undertaken market research. Desirable: Experience in publicity, advertising and media management.

					Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Post Graduate. Diploma in Marketing Management from a recognised University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation (including Short Term Contract) failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of— (i) Deputy Director of Tea Promotion with Pay Band 3 and Grade pay of Rs. 6600 with 3 years regular service (ii) Deputy Director of Tea Development with Pay Band 3 and Grade pay of Rs. 6600 with 3 years regular service (iii) Assistant Director of Tea Development with Pay Band 3 and Grade pay of Rs. 5400 with 4 years regular service (iv) Factory Advisory Officer with Pay Band 3 and Grade pay of Rs. 5400 with 4 years regular service. Deputation or Including Short Term Contract: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 4 years' regular service in posts with Pay Band 3 Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (v) one board member-Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) One or two technically qualified person(s) from outside, where considered necessary – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications
-------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------

1	2	3	4	5	6	required for direct recruits. 7
2. Director (Research).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 45 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 1. Master Degree in Agriculture or Botany or Bio-Chemistry from a recognised University or Institute with PhD in the relevant field. 2. Adequate Research experience Desirable Experience in organization or Research work, Liaison with Scientific Bodies and minimum two publications in reputed Science Journals.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Master Degree in Agriculture or Botany or Bio-Chemistry from a recognised University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of (i) Project Director with Pay Band 3 and Grade pay of Rs 6600 with 3 years regular service (ii) Soil Scientist with Pay Band 3 and Grade pay of Rs5400	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief	Not applicable.

			with 4 years regular service (iii) Research Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4600 with 8 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies — (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 4 years' regular service in posts with Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Accounts Officer, Tea Board-Member (v) one board member-Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member iv) Two outside experts from the relevant field – Member.	
--	--	--	---	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
3. Special Officer for North West India.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 40 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	Essential: 1. Master Degree in Business Administration (Marketing) or Mass Communication or Public relations form a recognized University or Institute. Experience: (i) At least 5 (five) years working experience in a registered reputed company in the division of Marketing or Sales or Advertisement or as Public Relation Officer.

					Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Post Graduate Diploma in Marketing Management or Mass Communication or Public Relation from a recognized University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of (i) Deputy Director of Tea Development with Pay Band 3 and Grade pay of Rs 6600 with 3 years regular service (ii) Assistant Director of Tea Development with Pay Band 3 and Grade pay of Rs5400 with 4 years regular service (iii) Publicity Officer with Pay Band 3 and Grade pay of Rs 5400 with 4 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies working as Public Relation or Liaison Officer under Government of India not below the rank of Under Secretary.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board- Member (v) Concerned Departmental Head - Member (vi) one board member- Member. For Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) Two outside experts from the relevant field - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of	Classification.	Pay band and	Whether	Age limit for	Educational and
-------------------	-----------	-----------------	--------------	---------	---------------	-----------------

	post.		grade pay or pay scale.	selection post or non-selection post.	direct recruits.	other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
4. Dy. Director of Tea Development.	11* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 1. Master Degree in Agriculture Extension or Botany or Tea Science form a recognized University or Institute. 2. Experience : Minimum 5 years' working experience either as Manager or Assistant Manager in a Tea Garden.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
--	------------------------------	---	---	--	---

8	9	10	made.	12	13
Not Applicable.	Two years.	80 percent by promotion and 20 percent by direct recruitment.	Promotion: From the cadre of Assistant Director of Tea Development with Pay Band 3 and Grade pay of Rs 5400 with 4 years regular service.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board – Member (iv) Director Tea Development, Tea Board – Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (vi) one board member-Member. For Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) One technically qualified person(s) from outside – Member (v) Director Tea Development, Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
5. Controller of Licensing.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for	Essential: LLB Degree from a recognized University or Institute. Desirable: Experience at a Senior Executive level in a business house of repute or in a Government Deptt. Familiarity with the tea industry would be an added qualification.

					those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Yes.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of (i) Statistician with Pay Band 3 and Grade pay of Rs 6600 with 3 years regular service (ii) Joint Controller of Licensing with Pay Band 3 and Grade pay of Rs5400 with 4 years regular service (iii) Assistant Director of Tea Development with Pay Band 3 and Grade pay of Rs5400 with 4 years regular service (iv) Factory Advisory Officers with Pay Band 3 and Grade pay of Rs5400 with 4 years regular service. Deputation:	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board – Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board- Member (v) one board member- Member. For Depuation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) Two outside experts from the	Not applicable.

			Officers under the Central Government or PSUs or Autonomous Organizations (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 4 years' regular service in posts with Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	relevant field – Member.	
--	--	--	---	--------------------------	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
6. Deputy Director of Tea Promotion.	4* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	Essential: Master Degree in Business Administration (Marketing) from a recognized University or Institute. Experience : (i) At least 05 years' working experience in a registered reputed company in the Division of Marketing or Advertisement. (ii) At least 3 years experience at executive level in Export, Marketing and sale promotion. Experience in publicity, advertising and media management is desirable (iii) Must have undertaken market research. Desirable: Working knowledge of export market or

					Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	overseas brand promotion & Experience in mass Communication.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education Post Graduate Diploma in Marketing Management from a recognized University or Institute	Two years.	50 percentage of sanctioned strength by direct recruitment and 50 percentage of sanctioned strength by promotion.	Promotion: From the cadre of Joint Controller of Licensing or Planning Officer or Welfare Liaison Officer (North) or Publicity Officer or Research officer (Statistics) or Research Officer (Economics) or Assistant Director of Tea Development or Factory Advisory Officer with Pay Band 3 and Grade pay of Rs5400 with 4 years regular service .	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board – Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (v) Concerned Departmental Head – Member (vi) one board member- Member. For Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv)) One outside expert, - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
7. Law Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on	Equivalent to General Central Service, Group 'A',	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs.	Not Applicable.	Not exceeding 42 years. (relaxable for	Essential: Master Degree in Law form a recognized University or Institute having 5

	workload.	Non-Gazetted, Non-Ministerial.	6600.		Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	years' working experience in State Judicial Service or in State or Central Government as Law Officer or in a registered reputed Law Firm or in a registered or reputed company or 10 years' experience as practicing advocate in a Court of Law Desirable: Knowledge in respect of legislations relating to labour laws and plantation.
--	-----------	-----------------------------------	-------	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board – Member (iv) One outside expert - Member.	Not Applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay	Whether selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------

			scale.	or non-selection post.		qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
8. Project Director.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 1. Master Degree in Bio-Chemistry or Agriculture in Plant Breeding or Soil Science or Entomology or Plant Pathology from a recognized University or Institute. with PhD in the relevant field. 2. 10 years' experience in research preferably in perennial crops. 3. Preference will be given to the candidates who published Research Paper in National or International Journals after completing Ph.D degree.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13

Age: No	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of (i) Soil Scientist with Pay Band 3 and Grade pay of Rs. 5400 of Darjeeling Tea Research and Development Centre with 4 years regular service . (ii) Research Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs. 4600 with 5 years regular service . Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies — (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 4 years' regular service in posts with Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board – Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (v) one member of the Tea Board – (Member. (vi)) One outside expert - Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board – (Member.	Not applicable.
---------	------------	--	---	--	-----------------

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
9. Statistician.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of	Essential: Master Degree in Statistics or Economics or Mathematics from a recognized University or Institute and experience in Statistical work in responsible position.

					applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Master Degree in Statistics or Economics or Mathematic or Commerce from a recognized University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of (i) Research Officer (Statistics) with Pay Band 3 and Grade pay of Rs. 5400 with 4 years regular service (ii) Research Officer (Economics) with Pay Band 3 and Grade pay of Rs. 5400 with 4 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies — (a) (i) Holding	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board – Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. (v) one member of the Tea Board – Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of	Not applicable.

			analogous posts on a regular basis; or (ii) With 4 years' regular service in posts with Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	the Tea Board - Member (iv) One outside expert - Member.	
--	--	--	--	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
10. Assistant Secretary	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: Master Degree from a recognized University or Institute Desirable: Diploma in management from a recognized University or Institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Bachelor Degree from a recognized University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Joint Controller of Licensing or Planning Officer or Welfare Liaison Officer (North) with Pay Band 3 and Grade pay of Rs. 5400 with 4 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies — (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 4 years' regular service in posts with Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board Member (v) one member of the Tea Board - Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two member of the Tea Board - Member - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
11. Sr. Accounts Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	Essential: 1. Bachelor Degree from a recognized University or Institute 2. Must have passed the final Examination of the Institute of Chartered Accountants (India or London) or Subordinate Account Service

					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Examination held by the Comptroller and Auditor General of India. Desirable: Experience in a Government or Semi-Government Office or a reputed Commercial undertaking for at least 5 or 7 years.
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Bachelor Degree from a recognized University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Accounts Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4600 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (v) one members of the Tea Board - Member.	Not applicable.

			educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) One technically qualified person(s) from outside, - Member.	
--	--	--	--	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
12. Deputy Director (Hindi).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 1. Master Degree in Hindi with English as a subject from a recognised University or Institute 2. PhD in Hindi. 3. Knowledge of all software relating to Hindi Language translation.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Master Degree in Hindi with English as subject from a recognised University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Assistant Director (Hindi) with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4600 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member-- (v) one members of the Tea Board - Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) One outside expert - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
13. Assistant Director of Tea Development.	26* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Selection.	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central	Essential: 1. Master Degree in Agriculture Extension or Botany or Tea Science form a recognized University or Institute. 2. Experience : Minimum 5

					Government from time to time).	years' working experience either as Manager or Assistant Manager in a Tea Garden.
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Development Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 5 years regular service.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board -Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-	Not applicable.

			Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Member (v) Director Tea Development, Tea Board - Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) One technically qualified person(s) from outside – Member (v) Director Tea Development, Tea Board – Member	
--	--	--	---	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
14. Factory Advisory Officer.	22* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs.5400.	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and	Essential :- Degree in Engineering in Mechanical or Electrical or Electronics and Instrumentation or Agriculture Engineering (four year course) from a recognised University or Institution. Desirable :- Two years' experience in a tea or coffee factory registered with the Tea or Coffee Board or Government licensed food processing or packaging industry.

					Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Selection Committee consisting of:- (1) Chairman, Tea Board – Chairman; (2) Deputy Chairman, Tea Board – Member; (3) one member of the Tea Board- Member; (4) Director of Tea Development, Tea Board- Member; (5) An external expert on tea manufacturing - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
15.Publicity Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Not Applicable.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- 1. Master Degree in Mass Communication from a recognised University or Institute. 2. Diploma in designing software like Adobe Photoshop etc. Experience : 03 years' experience in publicity and Advertising in agencies or commercial organization or a commodity Board Desirable: Experience in mass communication.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
--	------------------------------	--	---	--	---

		vacancies to be filled by various methods.	deputation or absorption is to be made.		
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Direct Recruitment or Deputation.	Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) One outside expert – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
16. Planning Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal	Essential :- 1. Master Degree from a recognised University or Institute. Desirable: Diploma in management.

					Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Bachelor degree from a recognised University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of (i) Section Officer or Labour Welfare Officer or Secretary to Chairman with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4600 with 3 years regular service (ii) Assistant Administrative Officer or Assistant Statistical Officers or Assistant Accounts Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (v) Director Tea Development, Tea Board - Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Two members of the Tea Board - Member (iv) One outside expert - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7

17. Welfare Liaison Officer (North).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- 1. Master Degree from a recognised University or Institute. Desirable: Diploma in management.
--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No.	Two years.	Promotion or Deputation	Promotion:	For Promotion : (i) Chairman, Tea	Not applicable.

Education: Bachelor degree from a recognised University or Institute.		failing which by Direct Recruitment.	From the cadre of i) Section Officer or Labour Welfare Officer or Secretary to Chairman with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4600 with 3 years regular service ii) Assistant Administrative Officer or Assistant Statistical Officers or Assistant Accounts Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs4200 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) one member of the Tea Board - Member.	
---	--	--------------------------------------	---	--	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
18. Joint Controller of Licensing.	2* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Essential :- 1. Bachelors Degree in Law from a recognised University or Institute. Desirable: Experience at Executive level in a business house of repute or in a Government Department. Familiarity with the tea industry would be an added qualification.

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Yes.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of — (i) Section Officer or Labour Welfare Officer or Secretary to Chairman with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4600 with 3 years regular service (ii) Assistant Administrative Officer or Assistant Statistical Officers or Assistant. Accounts Officer or Library and Information Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board – Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board- Member (v) Controller of Licensing, Tea Board – Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) one member of the Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
19. Research Officer (Statistics).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- 1. Master Degree in Statistics or Mathematics or Economics from a recognised University or Institute. Preferences : will be given to persons having 03 years' experience in analysis and interpretation of applied Economic data, including writing of notes, reports and memorandum in industrial and commercial topics in supervisory capacity in statistical Department under State or Central Government or Registered Reputed Company.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making
---	------------------------------	--	--	--	--

promotees.		percentage of vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation or absorption is to be made.		recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Bachelor degree in Statistics or Economics or Mathematics.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Assistant Statistical Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (v) Concerned Departmental Head, Tea Board - Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) one members of the Tea Board - Member (iv) One outside expert - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
20. Research Officer (Economics).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya,	Essential :- 1. Master Degree in Economics or Commerce from a recognised University or Institute with training in statistics from the Indian Statistical Institute or similar organization with specialization in Economics and Statistics Desirable: Familiarity with problems and work relating to export promotion would be an additional

					Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	qualification.
--	--	--	--	--	--	----------------

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Bachelor degree in Economics or Commerce.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Assistant Statistical Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs. 4200 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board - Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board -Member (v) Concerned Departmental Head, Tea Board - Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) one member of the Tea Board - Member (iv) One outside expert - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of	Classification.	Pay band and	Whether	Age limit for	Educational and
-------------------	-----------	-----------------	--------------	---------	---------------	-----------------

	post.		grade pay or pay scale.	selection post or non-selection post.	direct recruits.	other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
21. Soil Scientist.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- 1. Master Degree in Agriculture Extension or Soil Science from a recognised University or Institute with Ph.D in relevant field. Experience : 05 years' research experience in Institute or Organization under the Government or Statutory Bodies or Universities etc. Preference will be given to candidates having excellent performance from Graduate to Post Graduate level

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making
---	------------------------------	--	--	--	--

promotees.		percentage of vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation or absorption is to be made.		recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of i) Research Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4600 with 3 years regular service . ii) Sr. Scientific Officer (Soil) with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board – Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (v) Director Research, Tea Board – Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board – Member. (iii) one members of the Tea Board – Member. (iv) One outside expert – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
22. System Analyst.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3 – Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 5400.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date	Essential :- B.Tech (Computer Science) or B.E. (Computer Science) from institutions accredited by All India Council for Technical Education. Experience : 02 years' experience in system design and implementation in real life projects under multi-user and multi-architecture environment.

					prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Master Degree in Computer Application.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Programmer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs. 4200 with 5 years regular service and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) Secretary, Tea Board – Member (iv) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board- Member (v) One outside expert – Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Chairman, Tea Board – Chairman (ii) Dy. Chairman, Tea Board - Member (iii) one members of the Tea Board - Member (iv) One outside expert - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
23. Section Officer.	5* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- (i) Bachelors Degree from a recognized University or Institute. (ii) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute. Experience : Suitable experience in Secretarial and Establishment work, preferably in a Government Office and ability to write reports, minutes etc.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in
---	------------------------------	---	---	--	---

the case of promotees.		absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	from which promotion or deputation or absorption is to be made.		making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Yes.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Assistant Administrative Officer or Assistant Accounts officer or Assistant Statistical Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 2 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) One member of the Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
24. Labour Welfare Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Selection.	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in	Essential :- (i) Bachelor's Degree from a recognized University or Institute.

					India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Yes.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Assistant Administrative Officer or Assistant Accounts officer or Assistant Statistical Officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 2 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board - Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board - Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board- Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea	Not applicable.

			educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Board - Member (iii) One member of the Tea Board – Member.	
--	--	--	---	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
25. Accounts Officer.	8* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- i) Bachelor Degree from a recognized University or Institute. ii) Must have passed the final Examination of the Institute of Chartered Accountants (India or London) or Subordinate Accounts Service Examination held by the Comptroller and Auditor General of India. Desirable: Experience in a Government or Semi-Government Office or a reputed Commercial undertaking for at least 5 to 7 years. Knowledge of Computer.

Whether age and educational qualifications	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment	In case of recruitment by promotion	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in which Union Public Service
--	------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	what is its composition.	Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Bachelor Degree from a recognized University or Institute.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Assistant Accounts officer with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 2 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board - Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board - Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman. (ii) Secretary, Tea Board - Member. (iii) One member of the Tea Board - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
26. Research Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,	Essential :- i) Master Degree in Agriculture from a recognized University or Institute. ii) Ph.D or 2 years working experience in any research project in institutions under State or Central Government or Statutory Bodies or recognized universities.

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Sr. Scientific Officers (Plant Protection or Bio Chemistry or Farm Management) with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 2 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board- Member (vi) Director Research, Tea Board – Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (vi) Director Research, Tea Board – Member. (iv) One outside expert – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
27. Secretary to Chairman.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4600.	Selection.	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- Bachelor Degree from a recognized University or Institute with 5 years experience in secretarial capacity to an Chief Executive Officer of any institution of repute. Must hold a diploma in Computer application.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or	In case of recruitment by promotion or deputation	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstances in which Union Public Service Commission to be
--	------------------------------	--	---	---	--

recruits will apply in the case of promotees.		by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	composition.	consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Executive Assistant with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4600 with 2 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board - Member. (iii) One member of the Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
28. Executive Assistant.	5* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Selection.	Not Exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the	Essential :- Bachelor Degree from a recognized University or Institute with 5 years experience in secretarial capacity to an Chief Executive Officer of any institution of repute. Must hold a diploma in Computer application.

					age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Sr. Secretarial Assistant with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 2 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member. (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member. (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Deputation or Direct Recruits : (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member.	Not applicable.

				(iii) One member of the Tea Board – Member.	
--	--	--	--	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
29. Assistant Director (Hindi).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Selection.	Not exceeding 35 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- (i) Master Degree in Hindi with English as a subject in Bachelor Degree from a recognized University or Institute. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.

Whether age and educational	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether	In case of recruitment by	If a Departmental Promotion	Circumstances in which Union
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	Committee exists, what is its composition.	Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Hindi Translator with Pay Band 2 and Grade pay of Rs 4200 with 2 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board - Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board - Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) One member of the Tea Board - Member. (iv) One outside expert - Member. (v) A Departmental Officer - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
30. Estate Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600.	Not Applicable.	Not exceeding 40 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial	Essential :- (i) Bachelor Degree from a recognized University or Institute. (ii) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.

					date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Experience: 05 years' experience in any Government or Public Sector Undertaking or Bank in the field of security or estate management.
--	--	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Direct Recruitment failing which by Deputation.	Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Selection Committee for Direct recruitment or Deputation consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside expert – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay	Whether selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------------

			scale.	or non-selection post.		qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
31. Sr. Scientific Officer (Plant Protection).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- (i) Master Degree (Agriculture) in Entomology or Plant Pathology from a recognized University or Institute. Preference may be given to candidates having 02 years' working experience in Entomological or Plant Pathological work in any University or Institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or deputation	Promotion:	For Promotion : (i) Dy. Chairman,	Not applicable.

		failing which by Direct Recruitment.	From the cadre of Jr. Scientific Officer (Plant Protection) with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2800 with 4 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member (vi) Director Research, Tea Board – Member. For deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside expert – Member. (v) Director Research, Tea Board – Member.	
--	--	--------------------------------------	---	--	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
32. Sr. Scientific Officer (Soil Science).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from	Essential :- (i) Master Degree (Agriculture) in Soil Science from a recognized University or Institute. Preference may be given to candidates having 02 years' working

					time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	experience in any soil testing laboratory or Institute.
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Jr. Scientific Officer (Soil Science) with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2800 with 4 years regular service. Deputation:	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board - Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board -	Not applicable.

			Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Member. (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. vi) Director Research, Tea Board – Member. For deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside expert – Member. (v) Director Research, Tea Board – Member.	
--	--	--	--	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
33. Sr. Scientific Officer (Bio Chemistry).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and	Essential :- (i) Master Degree in Bio Chemistry or Organic Chemistry from a recognized University or Institute. Preference may be given to candidates having 02 years' working experience in Plant Chemistry or Flavour Chemistry related work.

					Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Jr. Scientific Officer (Bio Chemistry) with Pay Band 1 and Grade pay of Rs. 2800 with 4 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board - Member (iv) Director Tea Promotion (Head-quarter), Tea Board - Member) (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board -Member (vi) Director Research, Tea Board - Member. For deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) One member of the Tea Board - Member (iv) One outside expert - Member (v) Director Research, Tea Board - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for
-------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	direct recruits. 7
34. Sr. Scientific Officer (Farm Management).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- i) Master Degree in Agronomy from a recognized University or Institute. Preference may be given to candidates having 02 years' working experience in similar position in a reputed organization. Candidates having published research papers in relevant subject or field will be preferred.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13

Not Applicable.	Two years.	Promotion failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Jr. Scientific Officer (Farm Management) with Pay Band 1 and Grade pay of Rs. 2800 with 4 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board - Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board - Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. (vi) Director Research, Tea Board - Member. For deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member. (iii) One member of the Tea Board - Member (iv) One outside expert - Member. (v) Director Research, Tea Board - Member.	Not applicable.
-----------------	------------	--	---	--	-----------------

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
35. Sr. Secretarial Assistant.	10* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date	Essential :- Bachelor Degree from a recognized University or Institute.

					for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Jr. Secretarial Assistant with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2400 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member. (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board	Not applicable.

			Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	-Member. For Deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member.	
--	--	--	---	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
36. Programmer.	3* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Not Applicable.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- Bachelor's Degree in Computer Science or Computer Application or Post Graduate Diploma in Computer Application with minimum 02 years' programming experience in at least 2 (two) programming languages under Relational database management system from a recognized University or Institute affiliated to All India Council of Technical Education. Experience: 02 years' working experience in 3rd generation programming languages under Relational database management system-in a registered reputed firm or equivalent experience.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert – Member. (v) System analyst – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
37. Assistant Statistical Officer.	7* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for	Essential :- Bachelor Degree in Mathematics or Statistics or Economics from a recognized University or Institute with 02 years working experience in a similar capacity.

					those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Yes.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Sr. Assistants with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2400 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member. (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board -Member. (vi) Statistician, Tea Board - Member. For Deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea	Not applicable.

				Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside expert – Member.	
--	--	--	--	--	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
38. Development Officer.	75* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- Bachelor Degree in Agriculture or Botany from a recognized University or Institute with 02 years working experience in the capacity of Assistant Manager or equivalent in a tea estate.

Whether age and educational	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether	In case of recruitment by	If a Departmental Promotion	Circumstances in which Union
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	Committee exists, what is its composition.	Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	95 percent by Direct Recruitment and 5 percent by promotion.	Promotion: From the cadre of Sr. Scientific Officers with Pay band 2 of Rs.9300-34800 plus and grade pay of Rs. 4200 with 2 years regular service and Jr. Scientific Officers with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2800 with 5 years regular service.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member. (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member. (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board - Member (iv) One outside Expert-Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
39. Assistant Administrative Officer.	72* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from	Essential :- Bachelor Degree from a recognized University or Institute.

					time to time).	
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Sr. Assistants with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2400 with 5 years regular service. Deputation:	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer,	Not applicable.

			Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Tea Board-Member. For Deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member.	
--	--	--	--	--	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
40. Assistant Accounts Officer.	41* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- Bachelor Degree in Commerce with advance accountancy and auditing from a recognized University or Institute. Experiences: 5 years in the Accounts & Audit Department of Government Or Semi-Government Office or a commercial firm of repute. Desirable: Familiarity with Fundamental & Supplementary Rules, Budgetary Procedure & General Financial Rules etc.

Whether age and educational	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether	In case of recruitment by	If a Departmental Promotion	Circumstances in which Union
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	Committee exists, what is its composition.	Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education. Proficiency in accounting software.	Two years.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment	Promotion: From the cadre of Sr. Assistants with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2400 with 5 years regular service. Deputation: Officers under the Central Government or Statutory Bodies (a) Holding analogous posts on a regular basis; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board - Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board - Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman. (ii) Secretary, Tea Board - Member. (iii) One member of the Tea Board - Member. (iv) One outside expert - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
41. Hindi Translator.	6* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date	Essential :- Bachelor Degree in Hindi literature with English as a subject from a recognized University or Institute. Experiences: At least 03 years' experience in translation from English to Hindi vice versa or teaching experience in Hindi in an

					for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	educational institution.
--	--	--	--	--	---	--------------------------

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education – Yes.	Two years.	Promotion failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Sr. Assistants with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2400 with 5 years regular service.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member. (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member. (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board- Member. For Direct	Not applicable.

				Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside expert – Member.	
--	--	--	--	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
42. Protocol Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Selection.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- Bachelor Degree from a recognized University or Institute Desirable: 3 years experience in protocol duties and well conversant with public relation work and proficiency in English or Hindi.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education. No. But must have experience in protocol duties and well conversant with public relation work and proficiency in English or Hindi.	Two years.	Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion: From the cadre of Sr. Assistants with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 2400 with 5 years regular service.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board - Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board - Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman. (ii) Secretary, Tea Board - Member. (iii) One member of the Tea Board - Member. (iv) One outside expert - Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
43. Library information Officer.	1* (2015) *Subject to variation dependent on	Equivalent to General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted,	Pay band-2 – Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4200.	Not Applicable.	Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants up to	Essential :- (i) Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science of a

	workload.	Non-Ministerial.			five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	recognized University or Institute. (ii) Two years' professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research or Educational Institution. Desirable: Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.
--	-----------	------------------	--	--	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	Two years.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside	Not applicable.

				Expert- Member. (v) A departmental Officer- Member.	
--	--	--	--	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
44. Jr. Scientific Officer (Plant Protection).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 -Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- (i) Master Degree in Agriculture from a recognized University or Institute. (ii) Preference may be given to candidates having 03 years' working experience in any reputed laboratory or institute carrying out analytical work.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board - Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert– Member. (v) Director Research, Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
45. Jr. Scientific Officer (Soil Science).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the	Essential :- (i) Master Degree in Agriculture from a recognized University or Institute. (ii) Preference may be given to candidates having 03 years' working experience in any soil testing laboratory or institute.

					closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert– Member. (v) Director Research, Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
46. Jr. Scientific Officer (Bio Chemistry).	1* (2015) *Subject to variation dependent on	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with	Essential :- (i) Master Degree in Chemistry from a recognized University or Institute. ii) Preference may

	workload.				the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	be given to candidates having 03 years' working experience in any reputed laboratory or institute carrying out analytical work.
--	-----------	--	--	--	--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert– Member. (v) Director Research, Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
47. Jr. Scientific Officer (Farm Management).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800.	Selection.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- i) Master Degree in Agronomy or Soil Science from a recognized University or Institute. ii) Preference may be given to candidates having 03 years' working experience in Agronomy or Soil Science in a reputed organization.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in
---	------------------------------	---	---	--	---

the case of promotees.		absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	from which promotion or deputation or absorption is to be made.		making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Bachelor's Degree in Agriculture or Bio Science from a recognized University or Institute.	One year.	Promotion failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Laboratory Assistant with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 1900 with 6 years regular service.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board - Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert– Member. (v) Director Research, Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
48. Jr. Scientific Officer (Agronomy).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 2800.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of	Essential :- (i) Master Degree in Agronomy from a recognized University or Institute. (ii) Preference may be given to candidates having 03 years' working experience in Agronomy or Soil Science in a reputed organization.

					Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert– Member. (v) Director Research, Tea Board – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
49. Jr. Secretarial Assistant.	12* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	Essential :- (i) Bachelor Degree from a recognized University or Institute. (ii) Skill Test Norms: Dictation for 10 mts. @ 80 words per minute. Transcription: 40 words per minute on computer.

					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Must have knowledge in MS Office and operation of Fax machine and knowledge of e-governance etc. Diploma holders in MS Office will be preferred.
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) A departmental officer-Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of	Classification.	Pay band and	Whether	Age limit for	Educational and
-------------------	-----------	-----------------	--------------	---------	---------------	-----------------

	post.		grade pay or pay scale.	selection post or non-selection post.	direct recruits.	other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
50. Jr. Secretarial Assistant (Hindi).	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 -Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- i) Bachelor Degree in Hindi from a recognized University or Institute. ii) Skill Test Norms: Dictation for 10 mts. @ 80 words per minute. Transcription: 40 words per minute on computer. Must have knowledge in MS Office.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
--	------------------------------	---	---	--	---

8	9	10	made. 11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) A departmental officer-Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
51. Sr. Assistant.	92* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400.	Selection.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- i) Bachelors Degree from a recognized University or Institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age –No. Education – Diploma in Computer application is must.	One year.	Promotion or Deputation failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of Assistants or Assistants (Hindi) with Pay Band 1 and Grade pay of Rs 1900 with 5 years regular service.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board- Chairman (iii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member (v) A Departmental officer - Member For Deputation or Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board- Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) A Departmental officer – Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
52. Assistant.	91* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Selection.	18-27years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by	Essential :- (i) Graduation from a recognized University or Institute. (ii) A typing speed of 35 w.p.m.in

					the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	on Computer. (35 w.p.m. correspond to 10500 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age: No. Education: Matriculation from recognized University or Board or Institute.	One year.	80 percent by Direct Recruitment and 20 percent by promotion from cadre of Multi Tasking Staff in the Grade Pay of Rs. 1800 and who possess matriculation or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the	As stated in column 10.	For Promotion : (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board –	Not applicable.

		grade.		Member (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board-Member. For Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board – Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) A Departmental officer –Member.	
--	--	--------	--	--	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
53. Assistant (Hindi).	3* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and	Essential :- (i) Graduation from a recognized University or Institute in Hindi literature. (ii) A typing speed of 30 w.p.m.in on Computer. (30 w.p.m. correspond to 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

					Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	For Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board - Chairman (ii) Secretary, Tea Board – Chairman. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) A Departmental officer –Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
54. Driver.	18* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in	Essential :- (i) Matriculate or class 10 th pass. (ii) Possession of a valid driving licence for motor Car. (iii) Experience for driving a motor car for at least 2 years.

					India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman or Tea Board-Chairman (ii) Secretary, Tea Board - (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert– Member. (v) A Departmental officer –Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for
-------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	direct recruits. 7
55. Laboratory Assistant.	3* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- Bachelor Degree in Bio-Science or Agriculture.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman or	Not applicable.

				Tea Board-Chairman (ii) Secretary, Tea Board - (iii) One member of the Tea Board - Member. (iv) One outside Expert, - Member. (v) A Departmental officer -Member.	
--	--	--	--	---	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
56. Electrician	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 -Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Not Applicable.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential :- (i) Matriculate or equivalent. (ii) ITI certificate in electrical field.

Whether age and educational	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether	In case of recruitment by	If a Departmental Promotion	Circumstances in which Union
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	Committee exists, what is its composition.	Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of :— (i) Dy. Chairman or Tea Board-Chairman (ii) Secretary, Tea Board - (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert– Member. (v) A Departmental officer –Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
57. Generator Operator.	2* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Non-Selection.	18-27years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti	Essential :- (i) 12 th Pass or equivalent. (ii) Workmen's trade certificate from Industrial Training Institute. (iii) Possession of workmen's permit in part III only issued by the Licensing Board of the State Government. Experience: Should have at least 02 years experience in operation and maintenance of Generator.

					District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	---	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman Tea Board-Chairman (ii) Secretary, Tea Board -Member (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert – Member. (v) A Departmental officer –Member.	Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
58. Plumber.	1* (2015) *Subject to variation	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Non-Selection.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with	Essential :- (i) Matriculate or equivalent. (ii) ITI certificate in plumbing field.

	dependent on workload.				the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	------------------------	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Age –No.	One year.	Promotion failing which by Direct Recruitment.	Promotion: From the cadre of	For Promotion (i) Dy. Chairman, Tea Board-Chairman,	Not applicable.

Education – ITI certificate in plumbing field.			Multi Tasking Staff with 2 years regular service.	(ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member. (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member. (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board –Member. Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board-Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert Member. (v) A Departmental officer –Member.	
--	--	--	---	--	--

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
59. Mate to Electrician.	1* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1 –Rs 5200-20200 plus grade pay Rs. 1900.	Non-selection.	18-27 years. (relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	Essential :- (i) Matriculate or equivalent. (ii) ITI certificate in electrical field.

					Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
--	--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8 Age –No. Education – ITI certificate in electrical field.	9 One year.	10 Promotion failing which by Direct Recruitment.	11 Promotion: From the cadre of Multi Tasking Staff with 2 years regular service.	12 For Promotion (i) Dy. Chairman, Tea Board-Chairman, (ii) Secretary, Tea Board - Member (iii) Director Tea Development, Tea Board – Member. (iv) Director Tea Promotion (Head Quarter), Tea Board – Member. (v) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board -Member. Direct Recruitment (i) Dy. Chairman, Tea Board-Chairman. (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) One outside Expert Member. (v) A Departmental officer –Member.	13 Not applicable.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	---	--------------------------------	--

1	2	3	scale.	post.	6	7
60. Multi Tasking Staff.	188* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-1 – Rs 5200- 20200 plus grade pay Rs. 1800.	Not Applicable.	18-25 years. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment exchange is asked to submit the names.	Essential :- i) Matriculate or Class 10 th pass.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable.	One year.	Direct Recruitment.	Not Applicable.	Selection Committee consisting of (i) Dy. Chairman, Tea Board-Chairman : (ii) Secretary, Tea Board – Member. (iii) One member of the Tea Board – Member. (iv) A Departmental officer –Member.	Not applicable.

SANTOSH SARANGI, Chairman
[ADVT-III/4/Ext./92-F/15(260)]